पीएफसी और एपीडीआरपी की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
'ऊर्जानिधि' 1, बाराखंबा लेन,
नई दिल्ली - 110001
वेबसाइट : www.pfcindia.com

विज्ञापन संख्या : 01/संविदा/2019

एकीकृत विद्युत विकास योजना (भारत सरकार की प्राथमिकता वाली योजना) के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधार पर परामर्शदाताओं (यूवीए / तकनीकी / प्रबंध) की भर्ती

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) जो नवरत्न उद्यम है, एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के साथ नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत ग्राहकों को विश्वसनीय एवं अच्छी विद्युत की आपूर्ति के लिए शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क, वितरण क्षेत्र की आईटी समर्थता आदि के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना है।

हम पीएफसी की आईपीडीएस यूनिट के लिए स्फूर्त, प्रतिबद्ध और स्वप्रेरित पेशेवरों को हायर कर रहे हैं। निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नैतिकता के सर्वोच्च मानक के साथ व्यावसायिक, वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष कार्य प्रदान करने के लिए इस विज्ञापन में उल्लेख के अनुसार सभी प्रासंगिक दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर, आदि अपलोड करें :

पद	कुल रिक्तियां	आरक्षण	अर्हता	अनुभव एवं आयु सीमा
परामर्शदाता (शहरी विद्युत अभियान) (यूवीए)	12	अनारक्षित - 06 एससी - 02 एसटी - 01 ओबीसी - 03	बीई / बीटेक (इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक्स / आईटी / सीएस)	विद्युत वितरण का ज्ञान तथा अर्हता प्राप्ति के बाद आईटी कार्यान्वयन / परियोजना प्रबंधन में 3 साल से अधिक का अनुभव अधिकतम आयु : 44 वर्ष
परामर्शदाता तकनीकी-□	02	अनारक्षित - 02	बीई / बीटेक (इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक्स / आईटी / सीएस)	विद्युत वितरण का ज्ञान तथा अर्हता प्राप्ति के बाद आईटी कार्यान्वयन / परियोजना प्रबंधन में 5 साल से अधिक का अनुभव अधिकतम आयु : 44 वर्ष
परामर्शदाता तकनीकी-□□	01	अनारक्षित - 01	बीई / बीटेक (आईटी / सीएस) / एमसीए	अर्हता प्राप्ति के बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, एएसपी.नेट 4.0/4.5, एमवीसी, जेक्वेरी, एचटीएमएल5, सीएसएस3, जेसोन, एक्सएमएल का प्रयोग करके वेब एप्लीकेशन डिजाइन में 2 साल से अधिक का अनुभव वांछनीय : ऐंगुलरजेएस, बूटस्ट्रैप का प्रयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने में अनुभव

				अधिकतम आयु : 44 वर्ष
परामर्शदाता (प्रबंधन)	01	अनारक्षित - 1	स्नातक (कोई भी विषय, वरीयत: इंजीनियरिंग) और एमबीए (एचआर / एचआरडी) या समकक्ष	अर्हता प्राप्ति के बाद एचआर / एचआरडी में वरीयत: विद्युत क्षेत्र में 2 साल से अधिक का अनुभव अधिकतम आयु : 44 वर्ष

संविदा की अवधि :

यह अस्थाई आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से संविदात्मक नियुक्ति है। संविदा की अवधि शुरू में अधिकतम 2 साल के लिए होगी और हर बार 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में यह उसी संविदा के तहत 4 साल से अधिक नहीं होगी। किसी भी पक्ष द्वारा कोई कारण बताए बगैर 30 दिन का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

तैनाती का स्थान : भारत में कहीं भी वितरण कंपनियों / विद्युत विभागों (उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र) के मुख्यालय में आवेदन पत्र में क्षेत्रवार प्राथमिकता का उल्लेख किया जा सकता है।

कार्य का विवरण :

संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओं के कार्य का अनंतिम विवरण इस प्रकार है :

I. परामर्शदाता (यूवीए) के लिए

1. आईपीडीएस (आरएपीडीआरपी सहित) परियोजनाओं अर्थात वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण, आईटी अनुसमर्थन, ईआरपी कार्यान्वयन, स्काडा, 11 केवी के फीडरों से रीयल टाइम डाटा प्राप्ति, स्मार्ट मीटर आदि के कार्यान्वयन में यूटिलिटी की सहायता करना।
2. आईपीडीएस के तहत विकसित आईटी प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रयोग में यूटिलिटी की सहायता करना।
3. आईपीडीएस की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के लिए यूटिलिटी के साथ अनुवर्तन करना / गति बढ़ाना, आईपीडीएस की परियोजना निगरानी के लिए यूटिलिटी की परियोजना प्रबंधन एजेंसी के साथ समन्वय करना और आईपीडीएस परियोजना निगरानी प्रणाली पर प्रगति के अपलोड होने का सुनिश्चय करना।
4. राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर 11 केवी के फीडरों की निगरानी का डाटा प्रस्तुत करने में यूटिलिटी की सहायता करना और फीडर के डाटा का विस्तृत विश्लेषण करना तथा यूटिलिटी के प्रबंध निदेशकों / वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट भेजना।
5. आईटी समर्थित कस्बों की गो-लाइव पश्चात मासिक रिपोर्टें अपलोड करने तथा ऊर्जा ऐप / आईपीडीएस के पोर्टल पर सूचना की जांच करने में यूटिलिटी की सहायता करना।
6. ऊर्जा ऐप, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल तथा आईपीडीएस की परियोजना निगरानी प्रणाली पर अपलोड की गई रिपोर्टों के स्वच्छीकरण का सुनिश्चय करना। प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले विचारोत्तेजक सुधारात्मक कदम के बारे में यूटिलिटी के प्रबंध निदेशक / वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना।
7. आईपीडीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार करने में यूटिलिटी की सहायता करना।
8. योजना के तहत पीएफसी को प्रस्तुत करने के लिए दावा एवं उपयोग प्रमाण पत्र तैयार करने में यूटिलिटी की सहायता करना।
9. पीएफसी द्वारा समय-समय पर नियुक्त तीसरे पक्ष की सत्यापन एजेंसियों जैसे कि टीपीसीईए, टीपीआईईए - ईए तथा टीपीआईईए - आईटी के कार्य का समन्वय करना।
10. पीएफसी के नोडल अधिकारी और आंचलिक निगरानी अधिकारियों के साथ दैनिक चर्चा तथा उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों को संपन्न करना जिसमें प्रबंध निदेशक / वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित आईपीडीएस की समीक्षा बैठक में भाग लेना शामिल है।
11. समय-समय पर अपेक्षित विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार करना और अनुरक्षित करना।
12. विद्युत मंत्रालय / पीएफसी के निदेश पर समय-समय पर किए जाने वाले अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करना।

II. परामर्शदाता (तकनीकी)-□ के लिए

1. अनुमोदित दिशानिर्देशों एवं कार्यविधियों के अनुसरण में आईपीडीएस (आरएपीडीआरपी सहित) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पीएफसी / विद्युत मंत्रालय की सहायता करना।
2. आईपीडीएस के तहत यूटिलिटीज द्वारा प्रस्तुत विभिन्न डीपीआर की जांच करने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने में सहायता करना।
3. फील्ड विजिट / केंद्रीय स्तर पर चर्चा के माध्यम से आईपीडीएस के तहत विकसित आईटी प्रणालियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रयोग में यूटिलिटीज की सहायता करना।
4. वितरण कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल तथा आईपीडीएस पोर्टल पर अपलोड की गई आईटी अनुसमर्थित कस्बों की गो-लाइव पश्चात रिपोर्टों तथा 11 केवी की फीडर रिपोर्टों की निगरानी एवं विश्लेषण करना। अपवाद की रिपोर्ट करना और सुधार के उपायों का सुझाव देना।
5. पीएफसी / विद्युत मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस परियोजनाओं की निगरानी के लिए एमआईएस अनुरक्षित करना।
6. ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल पर आर-एपीडीआरपी और आईपीडीएस परियोजनाओं के कार्य की प्रगति का अपडेशन सुनिश्चित करने के लिए यूटिलिटीज के साथ समन्वय करना।
7. आईपीडीएस के तहत परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विश्लेषण / निगरानी करना।
8. आईपीडीएस के तहत दावों को प्रोसेस करने में पीएफसी के नोडल अधिकारियों की सहायता करना।
9. आईपीडीएस के कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रस्तुतियों, विवरण एवं विविध दस्तावेजों में तथा विभिन्न प्रकार की समीक्षा बैठकों के लिए सहायता प्रदान करना।
10. यूटिलिटीज, एजेंसियों तथा पीएफसी के अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों एवं कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करना।
11. आईपीडीएस की गुणवत्ता तथा प्रगति की निगरानी के लिए तीसरे पक्ष की सत्यापन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना। तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्टों की जांच एवं विश्लेषण करना।
12. नई प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में तकनीकी पेपर, प्रस्तुतियां एवं उपगमन पेपर तैयार करना।

13. यूटिलिटीज के लिए ऊर्जा ऐप पर सूचना की जांच करना और ऐप की विशेषताओं एवं उपयोगिता के बारे में यूटिलिटीज के अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना।

III. परामर्शदाता (तकनीकी)-□□ के लिए

1. आईपीडीएस की मौजूदा वेबसाइट का पुनर्निर्माण करना
2. आईपीडीएस की वेबसाइट का रखरखाव तथा भावी वृद्धि
3. वेब एप्लीकेशंस के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करना जैसे कि डीपीआर / दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना
4. वेंडर से एसडीएलसी दस्तावेजों को समझना एवं विश्लेषण करना
5. आईटी से संबंधित रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए आईपीडीएस यूनिट के नोडल अधिकारियों / क्षेत्रीय अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना
6. आईपीडीएस यूनिट के लिए आईटी से संबंधित कोई अन्य विकास / अनुरक्षण कार्य

IV. परामर्शदाता (प्रबंधन) के लिए

1. विभिन्न कार्यशालाओं, क्षमता निर्माण के अभ्यासों आदि के आयोजन तथा प्रस्तुतियां तैयार करने एवं संपादित करने में सहायता प्रदान करना। क्षमता निर्माण डाटा की एमआईएस रिपोर्टों का संकलन करना।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुपालनों उदाहरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का एजेंडा, कार्यक्रमों का हाजिरी पत्रक, प्रतिभागी फीडबैक, पीटीआई फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक, प्रश्नावली, प्रायोजक यूटिलिटीज से प्रमाण पत्र एवं बीजक आदि का अनुरक्षण करना।
3. प्रशिक्षण के दावों की प्रोसेसिंग में सहायता प्रदान करना जिसमें दस्तावेज प्राप्त करना, जांच करना, संवीक्षा करना और सटीकता के लिए संकलित करना शामिल है।
4. अनुभव साझा करने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के विनिमय कार्यक्रम के लिए बुनियादी कार्य करना।
5. कार्यशालाओं / सम्मेलनों में सहायता प्रदान करना।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फीडबैक का विश्लेषण करना।

7. यूवीए / परामर्शदाताओं आदि की हाजिरी का संकलन करना, उनके वेतन एवं अन्य दावों को प्रोसेस करना।
8. विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना पर कार्य करना।

परामर्शदाताओं को भारत के विभिन्न राज्यों में तैनात किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार किसी खास राज्य के लिए अपनी प्राथमिकता के बारे में अवगत करा सकते हैं। तथापि, यह विकल्प उम्मीदवार की पसंद के राज्य में तैनाती का आश्वासन नहीं देता है और पीएफसी की आवश्यकता के अनुसार भारत में कहीं भी चयनित उम्मीदवार की तैनाती की जा सकती है।

परिलब्धियां एवं लाभ :

क्र. सं.	**अर्हता पश्चात अनुभव**	**समेकित आधार पर मासिक परिलब्धियां**
1.	1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	61,000 रुपए
2.	5 वर्ष से अधिक	68,000 रुपए

- सरकारी कामकाज के लिए स्थानीय यात्रा के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति वर्तमान नियमों के अनुसार की जाएगी।
- मोबाइल के मासिक किराए तथा इंटरनेट के लिए डाटा कार्ड और काल चार्ज के लिए प्रतिपूर्ति वर्तमान नियमों के आधार पर की जाएगी।
- कार्य से संबंधित यात्रा के लिए टीए / डीए का भुगतान वर्तमान नियमों के अनुसार की जाएगा।
- अवकाश : अन्यथा लिए गए अवकाश के लिए, अनुपस्थिति की अवधि के लिए मासिक परिलब्धियों से यथानुपात कटौती की जाएगी।
- कार्य के लिए 24 घंटे नियुक्त रहने की आवश्यकता है।
- अन्य सांविधिक लाभ प्रासंगिक अधिनियम के अनुसार विनियमित होंगे।

छूटें / रियायतें :

- **सभी उपर्युक्त कसौटियां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए हैं। तथापि, एससी / एसटी / ओबीसी (एनसीएल) / पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए संविदात्मक नियुक्ति के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयु, अनुभव, अर्हता में अंकों की प्रतिशतता आदि से संबंधित छूटें लागू होंगी।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने दावा के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, ओबीसी - एनसीएल (ओबीसी - गैर क्रिमी लेयर) उम्मीदवारों को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08 सितंबर, 1993 में निहित प्रावधान के अनुसार भारत सरकार / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तहत पदों पर नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ लागू निर्धारित प्रपत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी से मान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, यदि ओबीसी - एनसीएल उम्मीदवारों को निजी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उस समय उनको इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे ओबीसी - गैर क्रिमी लेयर से हैं।
- ओबीसी के जो उम्मीदवार "क्रिमी लेयर" से हैं वे ओबीसी - एनसीएल उम्मीदवारों को ग्राह्य रियायत के लिए हकदार नहीं हैं तथा ऐसे उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी "सामान्य" के रूप में दर्शानी होगी।
- यदि एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी से भिन्न भाषा में जारी किया गया है, तो उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी में स्वयं प्रमाणित अनूदित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- यथालागू अधिकतम आयु सीमा में एससी एवं एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी - एनसीएल के लिए 3 साल, सामान्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, ओबीसी - एनसीएल के पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13 साल और एससी / एसटी के पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 साल तक की छूट दी जा सकती है। तथापि, सभी लागू छूटों / रियायतों के बाद भी किसी भी स्थिति में आयु 58 साल से अधिक नहीं होगी।
- 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक जम्मू एवं कश्मीर में निवास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जा सकती है।

- आरक्षित रिक्तियों के लिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए अर्हता में अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में शिथिल मानक पास ग्रेड है।

सामान्य शर्तें :

1. यह नियुक्ति अस्थाई आवश्यकता के लिए, न कि किसी नियमित रिक्ति के विरुद्ध पूर्ण रूप से संविदा आधार पर है। नियुक्ति उम्मीदवार को पीएफसी में नियमन / स्थाई नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
2. उपर्युक्त पदों के लिए सभी अर्हताएं एआईसीटीई / यूजीसी / उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा भारत में मान्यताप्राप्त एवं अनुमोदित विश्वविद्यालयों / संस्थाओं से पूर्णकालिक होनी चाहिए।
3. आयु / न्यूनतम अनुभव के संबंध में आवश्यकता / अर्हता की सभी गणनाएं 09 फरवरी, 2019 (आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) के आधार पर की जाएंगी। परीक्षाफल घोषित किए जाने / अंक तालिका जारी किए जाने की तिथि को अर्हता हासिल करने की तिथि माना जाएगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। किसी पद / लेवल पर अर्हता पश्चात कार्यपालक अनुभव की गणना केवल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी।
4. उम्मीदवारों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा ज्वॉइन करने के समय पर उनको निर्धारित प्रपत्र में किसी सरकारी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवारों के पास अपने-अपने राज्य से काम करने के लिए अपना स्वयं का फोन, कंप्यूटर / लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
6. प्रबंधन उम्मीदवारों की दक्षता, अर्हता, अनुभव आदि तथा निगम की आवश्यकता के आधार पर उनके चयन / संक्षिप्त सूची बनाने में वेटेज प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
7. संक्षिप्त सूची में शामिल किए गए जिन बाहरी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा उनको सबसे छोटे मार्ग से आने और जाने का एकल टू टियर एसी रेल भाड़ा का भुगतान किया जाएगा।
8. प्रबंधन कोई कारण बताए बिना आवेदन प्रक्रिया और/या इसके तहत चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. इस विज्ञापन में दर्शाई गई अनुमानित रिक्तियों की कुल संख्या पीएफसी प्रबंधन के विवेक पर बढ़ सकती है / घट सकती है / निरस्त हो सकती है, यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होगी। परिवर्तन, यदि कोई हो, पीएफसी की वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे।

10. राष्ट्रीयता के संदर्भ में पात्रता निगम की मौजूदा नीति के अनुसार होगी। किसी पद के लिए आवेदन करते समय, आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित तिथियों को उपर्युक्त पात्रता तथा अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं तथा यह कि प्रस्तुत किए गए विवरण हर दृष्टि से सही हैं। यदि भर्ती के किसी चरण पर पता चलता है कि उम्मीदवार पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या यह कि उन्होंने कोई गलत / झूठी सूचना प्रस्तुत की है या किसी सारवान तथ्य (तथ्यों) को छिपाया है, तो उनकी उम्मीदवारी अपने आप निरस्त हो जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी किसी उपर्युक्त कमी का पता चलता है, तो किसी नोटिस के बिना उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

11. दावा के किसी मामले या इस विज्ञापन से उत्पन्न विवाद और/या उसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही केवल दिल्ली में शुरू की जा सकती है और ऐसे किसी विवाद / मुकदमा की सुनवाई करने के लिए केवल दिल्ली के न्यायालयों / अधिकरणों / फारमों को एकल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

12. अंग्रेजी से भिन्न संस्करण में निर्वचन के कारण उत्पन्न किसी संदिग्धता / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

13. ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे पहले निगम की सेवा से या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग से या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से या किसी स्वायत्त निगम से बर्खास्त किया गया है, हटाया गया है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। इसके अलावा, निगम के ऐसे कर्मचारी भी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं जिन्होंने निगम की सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

14. ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे नैतिक पतन के किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध किया जा चुका है।

15. जहां केंद्रीय सरकार नियमावली के तहत उसके कर्मचारियों के लिए यह अनुमत हो सकता है, उसे छोड़कर ऐसा कोई उम्मीदवार निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक जीवित जीवनसाथी हैं या जो जीवित जीवनसाथी के होते हुए दूसरा विवाह करता है जो ऐसे जीवनसाथी के जीवित रहने के दौरान घटित होने के कारण शून्य है।

16. केवल यह तथ्य कि किसी उम्मीदवार ने विज्ञापन के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है और विज्ञापन में निर्धारित कसौटियों को स्पष्ट रूप से पूरा कर रहा है, उसे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने / चयन प्रक्रिया के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। संक्षिप्त सूची में किसी उम्मीदवार के शामिल होने को अंतिम नियुक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर किसी खास राज्य के लिए एक भी उम्मीदवार के पात्र न होने की स्थिति में, मूल्यांकन की कसौटियों के अनुसार शीर्ष 5 प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलया जा सकता है। छांटे गए उम्मीदवारों को अग्रेतर चयन प्रक्रिया / साक्षात्कार आदि के लिए बुलया जाएगा। छांटे गए उम्मीदवारों की सूची पीएफसी की वेबसाइट (करियर पेज) पर प्रदर्शित की जाएगी।

कैसे आवेदन करें :

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व, कृपया सुनिश्चित कर लें कि आप विज्ञापन के अनुसार पद के लिए पात्र हैं।
2. पात्र आवेदकों को पीएफसी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com (करियर पेज) के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा तथा 27 जनवरी, 2019 को 1000 बजे से 09 फरवरी, 2019 को 17.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
3. बुनियादी सूचना, अर्हता, अनुभव के सफल पंजीकरण के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित स्वयं प्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं :

(क) जन्मतिथि का प्रमाण (कक्षा X का प्रमाण पत्र)

(ख) विशेषज्ञता / प्रतिशत / अर्हता की विधि के समर्थन में डिग्रियां, अंक तालिकाएं तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो

(ग) अनुभव तथा पिछला वेतन पर्ची प्रमाण पत्र

(घ) श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक) प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

(ड.) 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में निवास, यदि लागू हो

(च) हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें

4. दस्तावेजों के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद, आवेदकों को नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 100 रुपए (इसमें जीएसटी शामिल है) के आवेदन शुल्क (गैर प्रत्यर्पणीय) के ऑनलाइन भुगतान के लिए भुगतान गेटवे पर पहुंचाया जाएगा। एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
5. आवेदन शुल्क के सफल भुगतान के बाद, उम्मीदवारों को 'फाइनल सब्मिशन ऑफ अप्लीकेशन' का चयन करना होगा। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन पत्र तथा भुगतान पावर्ती पर्ची (यथा लागू) का प्रिंट अपने पास रखें। आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र पर लेनदेन आईडी तथा भुगतान स्टेटस (प्रदत्त), यदि लागू हो, का उल्लेख किया गया है।
6. ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को सही ब्यौरे प्रस्तुत करने / प्रदान करने में पूरी सवधानी बरतनी चाहिए। आप 'फाइनल सब्मिशन ऑफ अप्लीकेशन' से पूर्व सूचना को बदल सकते हैं। अंतिम प्रस्तुति के बाद आवेदन को संशोधित / परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
7. उम्मीदवारों को उस राज्य का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं क्योंकि उल्लिखित राज्य में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. भर्ती से संबंधित पूछताछ के लिए, उम्मीदवार टेलीफोन नंबर 011-23456346 पर संपर्क कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय तकनीकी मुद्दों से संबंधित पूछताछ के लिए, उम्मीदवार टेलीफोन नंबर 011-23456730 / 23456113 पर संपर्क कर सकते है।

टिप्पणी :

1. सभी आवेदकों से अनुरोध है कि निगम को आवेदन पत्र या किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी न भेंजे।
2. उम्मीदवारों की कोई मान्य ईमेल आईडी होनी चाहिए जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रहे। किसी भी स्थिति में उम्मीदवारों को किसी दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी का उल्लेख नहीं करना चाहिए।
3. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि शीघ्रता से आवेदन करें और आवेदन प्रस्तुत करें तथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि / समय तक प्रतीक्षा न करें। अंतिम समय में भीड़भाड़ के कारण यदि उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो इसके लिए पीएफसी जिम्मेदार नहीं होगा।
4. कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास रखें।

******